UPMH010031832026

<u>न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-1, महराजगंज।</u>

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-986/2026

1- इद्रीश व उम्र करीब 55 वर्ष पुत्र इस्लाम

2- असलम व उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र इस्लाम

समस्त निवासीगण मौजा रूद्रापुर, थाना पनियरा, जनपद महराजगंज।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्ष

मुकदमा अपराध सं०-411/2025
धारा-108,352 भारतीय न्याय संहिता
थाना पनियरा, जनपद महराजगंज।

<u>निस्तारण प्रार्थनापत्र 3 क</u>

24.07.2026

01- प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण **इद्रीश** एवं **असलम** के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-411/2025 अन्तर्गत धारा-108,352 भारतीय न्याय संहिता, थाना पनियरा, जनपद महराजगंज में जमानत हेतु संस्थित किया गया है।

02- आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण का इस न्यायालय में यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं है न ही खारिज किया गया है।

03- अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि "वादिनी के लड़के अमिर आलम का शाहिना पुत्री जाकिर के साथ प्रेम संबन्ध था। पंचायत में तय हुआ कि अमिर आलम का निकाह शाहिना के साथ होगा और वह रूद्रापुर में ही अपनी पत्नी के साथ रहेगा। उक्त मामला 22.04.2025 का है। इस तरह शाहिना के चाचा असलम, इद्रीश व हसिना पत्नी जाकिर वादिनी के लड़के अमिर आलम को अपने घर उठा ले गये और वही पर शाहिना व अमिर आलम कर निकाह कर दिये। अमिर आलम वादिनी के पास नहीं आता था। वादिनी के पति व सिलसिले रोजगार बाहर रहते है बाद में अमिर आलम वादिनी को बताया कि असलम उसे गाली देता है व कई बार मारा है और कहता है कि साले बैठकर खाते हो शाहिना के घर वाले उसको फोन खरीद कर दिये है। दिनांक 09.08.2025 को समय करीब दोपहर में खबर मिला कि वादिनी का लड़का पानी मे डूब कर मर गया है उक्त बात पूर्णतया गलत है वादिनी के लड़के की हत्या हुई है वादिनी ने लाश को देखा है उसके मुह

से खुन आया है व उसकी हत्या की गयी है। शाहिना असलम, इद्रीश व हसिना ने मिलकर उसकी हत्या किये हैं। वादिनी के लड़के को उपरोक्त लोग मारते पीटते थे।"

04- आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि "आवेदकगण निर्दोष है तथा कोई अपराध कारित नही किये है। यह कि उक्त मुकदमा में आवेदकगण को रंजिशन फर्जी तौर पर झूठे ही फसया गया है। कथित घटना दिनांक 09.08.2025 की बतायी गयी है और एस०पी० को प्रार्थना पत्र तथा धारा 173 (4) बी०एन०एस०एस० का प्रार्थना पत्र दिनांक 29.08.2025 को दिया गया है। इस तरह घटना की सूचना काफी विलम्ब से करीब 20 दिन बाद दिया गया है और विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण दर्शित नही किया गया है। आवश्यक तथ्यो के अभाव में धारा 108, 352 बी०एन०एस० का अपराध आयत नहीं होता है। धारा 108 बी०एन०एस० यानी आत्महत्या के लिये उकसाने का प्रत्यक्ष व स्पष्ट कारण व सबूत होना अनिवार्य है लेकिन उक्त प्रकरण में ऐसा कोई साक्ष्य नही है कि आवेदकगण के किसी कार्य द्वारा उकसाने की कार्यवाही की गयी हो। आवेदकगण को महज हैरान व परेशान करने की गरज से धारा–173 (4) बी०एन०एस०एस० का प्रार्थना पत्र रंजिशन व झूठे कथनो के आधार पर दाखिल किया गया है। जिसका सत्यता से कोई वास्ता सरोकार नही है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है। यह कि आवेदकगण के विरूद्ध अभियोजन के पास कोई प्रत्यक्ष व ठोस सबूत नही है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन व पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफी अन्तर है और उसके बीच घटना का कोई तालमेल नही है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है। कथित घटना के पूर्व मृतक के संबन्ध में आवेदकगण द्वारा किसी तरह की कोई घटना नही किया गया है। आवेदकगण अपने भाईयो से घटना के कई साल पूर्व से सपरिवार अलग–अलग मकान में रहते है। आवेदकगण अपने जमानत हेतु सक्षम जामिनदरान प्रस्तुत करने को तैयार है तथा बाद जमानत उनके कही भागने या छिपने की कोई आशंका नहीं है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त मुकदमें में आवेदकगण को जमानत पर रिहा करने की कृपा करे।"

05- अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये यह तर्क दिया गया है कि आवेदकगण/ अभियुक्तगण द्वारा अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर वादिनी के लड़के अमिर आलम को आत्महत्या करने के लिए विवश किया गया, जिसके कारण वह जहरीला प्रदार्थ खाकर तलाब में जाकर आत्महत्या कर लिया। अभियुक्तगण के द्वारा घोर अपराध किया गया है तथा जमानत से रिहा होने पर अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन को प्रभावित किए जाने की संभावना है। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

06- मेरे द्वारा बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता, वादिनी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी) को सुना गया तथा थाने से प्राप्त आख्या का एवं जमानत प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रपत्रों, केस डायरी का अवलोकन किया गया।

07- केस डायरी, थाने से प्राप्त आख्या का एवं जमानत प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण पर द्वारा अन्य अभियुक्त के

साथ मिलकर वादिनी के लड़के अमिर आलम को आत्महत्या करने के लिए विवश करने, जिसके कारण वह जहरीला प्रदार्थ खाकर तलाब में जाकर आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने का आक्षेप है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह ध्यान दिलाया गया है कि "प्रस्तुत मामले में घटना दिनांक 09.08.2025 की दर्शायी गयी है और प्रथम सूचना रिपोर्ट 02 माह 08 दिन विलम्ब से दिनांक 17.10.2025 को 15.26 बजे दर्ज करायी गयी है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी द्वारा कभी भी प्रताड़ना की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी थी। उक्त प्रकरण में आत्महत्या का होना पाया गया है, किन्तु वादिनी द्वारा घटना में जो कथन किया गया है वह आत्महत्या का कारण नहीं हो सकता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट नहीं है कि मृतक को आत्महत्या करने के लिए अभियुक्तगण द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है।

08– प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण दिनांक 05.07.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में गुण–दोष पर टिप्पणी किए बिना आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त को जमानत पर रिहा करने का आधार पर्याप्त है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

09- तदनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण **इद्रीश** एवं **असलम** की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा 1–1,00,000/–रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो–दो जमानतें दाखिल किये जाने पर निम्न शर्तों पर अवमुक्त किया जाता है–

(i)– आवेदकगण/अभियुक्तगण दौरान विवेचना मामलें से ज्ञात किसी साक्षी को डरायेगा धमकायेगा नहीं और न ही किसी साक्ष्य से छेडछाड़ करेंगे।

(ii)– आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण में सहयोग करेंगे तथा विचारण में प्रत्येक तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगे।

(iii)–आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष वाद के आरम्भ में आरोप विरचित किये जाने तथा बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० दर्ज किये जाते समय नियत तिथि पर स्वयं उपस्थित रहेंगे।

24.07.2026

(संजय मिश्र)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–1, महराजगंज।
जे0 ओ 0 कोड यू0 पी0 6257